

बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

पर्यादेश सं०-5/विविध-109/03 ऊ० 3399 / पटना, दिनांक 18.11.14

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के अनतर्गत वित्त विभाग, बिहार की अधिसूचना सं० 470, दिनांक 15 जनवरी, 1919 की कंडिका (ii) की उप कंडिका-2 के अन्तर्गत पूर्व निर्गत विभागीय पर्यादेश सं०-5/विविध-109/03 ऊ०-1007, दिनांक 21.02.2007 को आयुक्त उत्पाद निम्न रूपेण संशोधित करते हैं :-

प्रश्नगत पर्यादेश की कंडिका सं० 3 के क्रम सं० 1 से लेकर 10 तक में "जो भी अधिक हो" शब्द को "जो भी अभिक्त और अभियोजन के बीच आपसी सहमति के फलस्वरूप दिनांक 06.12.2014 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निष्पादन के निमित्त राशि आपसी सहमति से तय की जाए जो न्यूनतम राशि से कम नहीं हो" प्रतिस्थापित किया जाता है।

पर्यादेश में यह संशोधन केवल राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निष्पादन के उद्देश्य से दिनांक 06.12.2014 को आयोजित लोक अदालत के लिए यह संशोधन किया जाता है जो उसी दिन के लिए मान्य होगा।

ह०/-

(चितरंजन सिंह)

आयुक्त उत्पाद,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-पर्यादेश सं०-5/विविध-109/03 ऊ० 3399 / पटना, दिनांक 18.11.2014

प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/मुख्यालय स्थित उत्पाद पक्ष के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त उत्पाद,

बिहार, पटना।